इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 11, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. ई. 5-772-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री पी. नरहरि, आयएएस, कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2011 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर एवं 10, 11 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री पी. नरहरि की अवकाश की अवधि में श्री मनोज खत्री, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सिंगरौली का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज खत्री, कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र. एफ 6-7-2011-अट्ठावन.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय कृषि बीमा योनजान्तर्गत मौसम रबी 2011-12 के लिये संलग्न सूची अनुसार आलू तथा प्याज फसलों के लिये जिला/तहसील स्तर पर राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 मौसम रबी हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र) तहसीलें

फसल-आलू

स. क्र.	जिला	तहसील
(1)	(2)	(3)
1	छिन्दवाड़ा	1. छिन्दवाड़ा
		2. परासिया
2	शाजापुर	3. शाजापुर
		4. गुलाना
		5. मो. बड़ोदिया
3	देवास	6. देवास
		7. बागली
		8. सोनकच्छ
4.	इन्दौर	9. इन्दौर
		10. महू
		11. सांवेर
		12. देपालपुर
5.	सिंगरौली	13. सिंगरौली
6.	सागर	14. सागर
7.	उज्जैन	15. उज्जैन
		16. तराना
8.	धार	17. धार

फसल-प्याज

स. क्र.	जिला	तहसील
(1)	(2)	(3)
1	खण्डवा	1. पंधाना
2	सागर	2. सागर
3	भोपाल	3. हुजूर
4	शाजापुर	4. शुजालपुर
		5. गुलाना
		6. मो. बड़ोदिया
		7. शाजापुर
5.	देवास	8. देवास
		9. बागली

टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. एफ 1(ए)58-2003-ब-2-दो.—श्री एल. सी. भारतीय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), पु. मु. भोपाल को दिनांक 14 से 26 नवम्बर 2011 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 12, 13 एवं 27 नवम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश अवधि में श्री एल. सी. भारतीय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), पु. मु. भोपाल का कार्य सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एल. सी. भारतीय, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एल. सी. भारतीय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), पु. मु. भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एल. सी. भारतीय, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. सी. भारतीय, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. डी-15-12-2011-चौदह-3.—चूंकि राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-08-2011-चौदह-3, दिनांक 14 जून 2011 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के उपबन्धों के अधीन खण्डवा जिले की तहसील खण्डवा की कृषि उपज मंडी समिति खण्डवा के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से विनिर्दिष्ट है) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया गया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड "क" द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश "राजपत्र" में प्रकाशन होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्राम में समाविष्ट "उक्त क्षेत्र" को खण्डवा जिले की कृषि उपज मंडी समिति खण्डवा के मंडी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुये "उक्त मंडी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है :—

अनुसूची

1. पामाखेड़ी, 2. डाग, 3. डंठा, 4. नन्दाना, 5. टिटवास, 6. डबरी, 7. बोरखेड़ाकला, 8. हनवन्तिया, 9 भगवानपुरा, 10. भुरलाय, 11. फेफरियाकला, 12. सीवर, 13. मोहन्याकला, 14. मोहन्याखुर्द, 15. सिवरिया, 16. दिनकरपुरा, 17. देवला, 18. कौड़ियाखेड़ा, 19. भिलाई, 20 सोमगांव, 21. करोली, 22. छाल्पीखुर्द, 23. सिंघखेड़ा, 24. रोहलगांव, 25. सिंगाजी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, उप सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. डी-15-12-2011-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 23 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, उप सचिव.

Bhopal, the 23rd November 2011

No. D-15-12-2011-XIV-3.—WHEREAS by this department's Notification No. D-15-08-2011-14-3, dated 14th June 2011 issued under the provisions of clause (i) of sub section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have signified its intention to alter the limit of the market area of Krishi Upauj Mandi commettee Khandwa of District Khandwa (hereinafter referred to as the "said market area")by including herewith the area comprising of following village (hereinafter referred to as the "said area")

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, hereby alter the limits of the "said market area" for the purpose of the said Act. by including the "said area" comprising of following village mention in the schedule thereinwith the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Khandwa of District Khandwa.—

SCHEDULE

1. Pamakhedi, 2. Dag, 3. Theanda, 4. Nandana, 5. Titwas, 6. Dabari, 7. Borkhedakala, 8. Hanwantiya, 9. Bhagwanpura, 10. Bhurlay, 11.Phephariyakala, 12. Seevar, 13. Mohaniyakala, 14. Mohaniyakhurd, 15. Sivariya, 16. Dinkarpura, 17. Devla, 18. Kaodiyakheda, 19. Bhilai, 20. Somgawon, 21. Karoli, 22. Chhalpikhurd, 23. Singhkhed, 24. Rohalgawon, 25. Singaji.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
SANTOSH MISHR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. डी-15-12-2011-चौदह-3.—चूंकि राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-08-2011-चौदह-3, दिनांक 14 जून, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के उपबन्धों के अधीन खण्डवा जिले की तहसील हरसूद की कृषि उपज मंडी समिति हरसूद के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से विनिर्दिष्ट है) को अपवर्जित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया गया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड "क" द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश "राजपत्र" में प्रकाशन होने के

दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्राम में समाविष्ट ''उक्त क्षेत्र'' को खण्डवा जिले की कृषि उपज मंडी समिति हरसूद के मंडी क्षेत्र से अपवर्जित करते हुये ''उक्त मंडी क्षेत्र'' की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है :—

अनुसूची

1. पामाखेड़ी, 2. डाग, 3. ठंडा, 4. नन्दाना, 5. टिटवास, 6. डबरी, 7. बोरखेड़ाकला, 8. हनवन्तिया, 9 भगवानपुरा, 10. भुरलाय, 11. फेफरियाकला, 12. सीवर, 13. मोहन्याकला, 14. मोहन्याखुर्द, 15. सिवरिया, 16. दिनकरपुरा, 17. देवला, 18. कौड़ियाखेड़ा, 19. भिलाई, 20 सोमगांव, 21. करोली, 22. छाल्पीखुर्द, 23. सिंघखेड़, 24. रोहलगांव, 25. सिंगाजी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. डी-15-12-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 23 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd November 2011

No. D-15-12-2011-XIV-3.—WHEREAS by this department's Notification No. D-15-08-2011-XIV-3, dated 14th June, 2011 issued under the provisions of clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have signified its intention to alter the limit of the market area of Krishi Upaj Mandi committee Harsud of District Khandwa (hereinafter referred to as the "said market area")by excluding here from the area comprising of following village (hereinafter referred to as the "said area").

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, hereby alter the limits of the "said market area" for the purpose of the said Act. by excluding therefrom at the "said area" comprising of following village mention in the schedule thereinwith the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Harsud of District Khandwa.—

SCHEDULE

1. Pamakhedi, 2. Dag, 3. Theanda, 4. Nandana, 5. Titwas, 6. Dabari, 7. Borkhedakala, 8. Hanwantiya, 9. Bhagwanpura, 10. Bhurlay, 11.Phephariyakala, 12. Seevar, 13. Mohaniyakala, 14. Mohaniyakhurd, 15. Sivariya, 16. Dinkarpura, 17. Devla, 18. Kaodiyakheda, 19. Bhilai, 20. Somgawon, 21. Karoli, 22. Chhalpikhurd, 23. Singhkhed, 24. Rohalgawon, 25. Singaji.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANTOSH MISHR, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. 5450-इक्कीस-अ(स्था.).—श्री के. डी. खान प्रमुख सचिव, विधि को दिनांक 24 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर पर देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त होते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. डी. खान प्रमुख सचिव, विधि अवकाश पर नहीं जाते तो विधि एवं विधि परामर्शी के पद पर कार्यरत रहते.

अत: उनके खाते में शेष 240+2 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. एफ-22-14-2000-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा-10 (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जी. पी. सिंघल, प्रमुख सचिव के स्थान पर श्री अजय नाथ, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के रूप में तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्यानंद, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
(574, साउथ सिविल लाइन्स)

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. फा. नं. 66-स्था.-राविसेप्रा-11.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 1 नवम्बर 1999 से प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को प्रति दो वर्ष की समाप्ति अवधि में दिनांक 1 नवम्बर 2011 को तीस दिवस अर्जित अवकाश समर्पण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
अनिल कुमार चतुर्वेदी, सदस्य सचिव.

कार्यालय, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोपदबनास, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र. 2020-एस.डी.एम.-2011.—बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3) में विहित प्रावधानों के अनुसार उप खण्डीय सर्तकता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्षों की कालावधि के लिए किया जाता है :—

अनुविभाग-गोपदबनास

क्र.	धारा	उपधारा	सदस्य का नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	13	3(क)	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोपदबनास, जिला सीधी.
	13	3(ख)	1. श्री मुन्शीलाल पिता सुखई कोल सा. उपनी, तहसील गोपदबनास. 2. श्री अम्बर सिंह पिता जगदेव सिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हडबडो, तहसील गोपदबनास. 3. श्री जगन्नाथ सिंह पिता जग्यभान सिंह गोड़, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत क्षेत्र सलैहा, वर्तमान पंच, ग्राम पंचा. क्षेत्र सलैहा, तह. गोपदबनास.
	13	3(ग)	1. श्री सुरेश प्रसाद तिवारी, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र, बेन्दुआ, तहसील गोपदबनास.
	13	3(घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीधी. 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सीधी 3. परियोजना अधिकारी बाल विकास, सीधी.
	13	3(ङ)	शाखा प्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीधी.
	13	3(च)	तहसीलदार, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी.

बी. बी. पाण्डेय, उपखण्ड मजिस्ट्रेट.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विन्ध्याचल भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. सह. अधि.-रीडर-2011.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2000 के विनियम क्रमांक 3 अनुसार म. प्र. राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी. सी. केवलरमानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 12 दिसम्बर 2011 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर उज्जैन, राजस्व संभाग, उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. स्था.-अधि.-2011-304.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनयम 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 21 दिसम्बर 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक, में से सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तद्नुसार इस अधिकरण के मान. अध्यक्ष दिनांक 26-12-11 से दिनांक 31-12-11 तक शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत रहेगा.

विमल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्र.क्र. एफ-10 पत्र क्र. 363-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	किरहाई	4.107	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, सतना.	इटमा तालाब योजना हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 5 नवम्बर 2011

प्र. क्र.-2-ए 82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	रायखेड़ी	13.082	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	13.082		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है.—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	गोलना	5.956	कार्यपालनय यंत्री, सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा जिला विदिशा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	5.956		

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 8 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 17, 18, 19, 20-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	खामखेड़ा	5.858	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की माईनर नहरों के निर्माण हेतु.
		कजरई	0.915		
		रूपेटी	2.754		
		छेवला	1.277		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना के तहत् माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 18 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा म. प्र.	कुरवाई	लायरा	0.462	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य हेतु.

प्र. क्र. 2-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा म. प्र.	कुरवाई	केशरगंज	0.058	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य हेतु.

प्र. क्र. 3-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा म. प्र.	कुरवाई	इकौदा	0.732	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य हेतु.

प्र. क्र. 4-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा म. प्र.	कुरवाई	भौरासा	1.095	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र. क-प्र.भू.-अर्जन-9296-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त अधि भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			कुल ख. नं.	कुल रकवा (हे. में)		
सागर	सागर	भैसा	12	5.370	आयुक्त नगर निगम, सागर.	सिवेज सिस्टम-यू.आई.डी.एस.एस. एम.टी. योजना अंतर्गत.
		योग . .	12	5.370 हे.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए—सिवेज सिस्टम-यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत कार्य हेतु आवश्यकता है. आयुक्त नगर निगम, सागर.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. 2526-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र.क्र.-3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की, भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	मण्डवाडा	13.799	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 11, बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सबमाईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) ठीकरी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2525-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र.क्र.-4-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की, भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सेगांवा	1.827	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 11, बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सबमाईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) ठीकरी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 11/16 नवम्बर 2011

क्र. 2527-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र.क्र.-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की, भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी, संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	घोलानिया	1.293	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के सुपर पैसेज के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी, जिला बड़वानी व कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. 2529-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-6-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की, भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	खड़की	36.231	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर जिला बड़वानी.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना के मुख्य नहर, वितरण नहर व शाखा नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./शहीद भीमा नायक सागर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. 16029-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	बहादुरपुरा	0.109	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, राजगढ़	बहादुरपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 16031-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	गादिया	15.790	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, राजगढ़	गादिया तालाब के निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		बान्याबे	6.246		
		कुल योग	22.036		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

शुद्धिपत्र

इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 14अ-82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 704 भू-अर्जन 2011-नरसिंहपुर, दिनांक 24 जून 2011 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था. प्रकाशन में कालम नं. 3 में प्रकाशित ग्राम का नाम अकोला के स्थान पर मोहास पढ़ा जावे. शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.

संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 21 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	गरोठ	दसोरिया	9.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.	परासली तालाब से नहर योजना
		लाखाखेड़ी	0.02		
		परासली	2.02		
		माणकी	0.33		
		पिपल्यामोहम्मद	2.07		
		बर्डियाअमरा	3.42		
		फुलखेड़ा	1.32		
		योग	18.43		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 21 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	बाबाखेरा	5.210	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	हरपुरा सिचांई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बाबाखेरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	शिवराजपुरा	3.880	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	हरपुरा सिचांई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम शिवराजपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	खेरा जागीर	8.840	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	हरपुरा सिचांई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम खेरा जागीर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के

संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	मझगवां	5.040	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	हरपुरा सिचांई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगवां की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	पडवार	5.610	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	हरपुरा सिचांई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम पड़वार की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	गौर	10.14	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	हरपुरा सिचांई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गौर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	दरगॉय कलॉ	1.960	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम दरगॉय कलॉ की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन-13(अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्येर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	मोंहगांव माल	0.04	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मण्डला सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मण्डला.	शासकीय भवन निर्माण हेतु
		प. ह. नं. 51	0.38		
			0.42		

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. 908-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्येर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	राऊ	283.519	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर.	आवास, मार्ग, नगरीय उद्यान सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक सामान्य हेतु (यो. क्र. 165).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र दस-भू-अर्जन-फा.530-प्र.क्र.-01-अ-82-2011-12-6274.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5''अ'' के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	जमुड़ी	0.730 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, शहडोल म. प्र.	करही जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

भूमि की नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल म. प्र. में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) नगर/ग्राम—सोहाया-धतुरिया

(घ) क्षेत्रफल—0.660 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
327	0.140
328	0.520
योग . .	0.660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—म. प्र. शासन लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, भोपाल को वाह नदी पर पुल व पहूँच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) खुली भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बैरसिया में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 8 नवम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन-12 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—नैनपुर

(ग) ग्राम—खोहरी, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.31 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
442/2	0.80
442/3	0.36
443	0.15
योग . .	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—खोहरी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 11 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 1-ए-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—सिलवानी

(ग) ग्राम—सेमरा खास एवं जामनपानी

(घ) क्षेत्रफल—78.668 हे.

खसरा क्रमांक (1)	कुल रकबा हेक्टेर में (2)	अर्जित किया किया रकबा (3)
	ग्राम-सेमराखास	
156	3.052	3.052
157	2.140	0.500
139/3/1	0.919	0.919
318/154	0.460	0.460
155	0.551	0.551
319/155/1/1	2.023	2.023
319/155/2/1 139/2	4.375	4.375
319/155/2/2 139/2	2.023	2.023
136	1.882	1.882
138	1.594	1.594
134	0.121	0.121
129/1, 131	1.842	1.842
129/2, 131	1.841	1.841
130	0.425	0.425
132/1/1	0.809	0.809
132/1/2/1	0.551	0.551
132/1/2/2	0.551	0.551
132/1/2/3	0.202	0.202
132/1/2/4	0.162	0.162
132/1/2/5	0.162	0.162
132/1/2/6	0.121	0.121
132/1/2/7	0.162	0.162
132/2	2.725	2.725
128/1	0.725	0.725
128/2	0.384	0.384
126	1.156	1.156
127	0.611	0.611
123/1	0.396	0.396
123/2	0.397	0.397
122	1.028	1.028
119	0.295	0.295
291/10	1.477	1.477
292/9/1	0.482	0.482
292/9/2	0.036	0.036
293/9	0.534	0.534
294/9	1.400	1.400
295/9	1.100	1.100
296/9	1.234	1.234
298/9	0.421	0.421
297/9	1.356	1.356
299/9	1.011	1.011
9/2	1.307	1.307
9/3, 8/5	0.802	0.400
9/6	0.890	0.400
139/3/2	0.809	0.809
	ग्राम-जामनपानी	
40	0.704	0.704
41	0.615	0.200
46	1.323	0.323
43	0.841	0.150
212/34	0.526	0.526
213/37	0.531	0.531
34	1.003	1.003
37	0.646	0.646
38	0.890	0.890
39	2.667	1.330
31	3.023	3.023
32	1.996	1.996
33	4.338	4.338
207/89	0.324	0.324
51	0.644	0.300
52, 28/2/1 214/52	4.047	3.023
28/1	2.039	2.039
26	1.032	1.032
27	0.854	0.854
29	1.538	1.538
23	1.951	1.951
24, 25	1.570	1.570
208/30	0.486	0.486
209/30	1.153	1.153
210/30	0.607	0.607

(1)	(2)	(3)
211/30	1.092	1.092
52, 28/2/2 214/52	4.763	3.027
योग . .	87.747	78.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सेमरा खास सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

टीप:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 7-अ.-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-8235.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—बघोली बुजूर्ग
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—50
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—11.389 हेक्टयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
40/1	0.275
23/7	0.114
23/13	0.365
39/1	0.951
23/1	0.043
23/6	0.050
23/12	0.271
39/3	0.303
40/3	0.693
23/11	0.190
39/2	0.223
40/2	0.265
23/10	0.009
37	0.894
36	0.756
38	1.813
41/5	1.320
41/3	0.100
35/2	0.121
41/6	0.223
59/1	0.146
57	0.067
65/1	0.600
64	0.931
58/1	0.166
58/2	0.053
66/1	0.202
66/2	0.203
67/3	0.042
योग . .	11.389

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—बघोली लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 927-भू-अर्जन-2011.—अधिसूचना क्रमांक-161-अ-82-वर्ष-2010-11 दिनांक 9 सितम्बर 2011 रूंज मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम-भुजबई, तहसील व अनुविभाग अजयगढ़, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश के तहत् भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के तहत धारा-6 की अधिसूचना जारी की गई है. उक्त अधिसूचना को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है. प्रकरण में धारा-4 के अन्तर्गत जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-161-अ-82-वर्ष 2010-2011 दिनांक 05 अगस्त 2011 यथावत् प्रभावशील रहेगी. उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा-5 (क) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्राप्त आक्षेपों की विधिवत् सुनवाई उपरांत धारा-6 की नवीन घोषणा के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी.

क्र. 929-भू-अर्जन-2011.—अधिसूचना क्रमांक-162-अ-82-वर्ष-2010-11 दिनांक 9 सितम्बर 2011 रूंज मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम-विश्रामगंज, तहसील व अनुविभाग अजयगढ़, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश के तहत् भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के तहत धारा-6 की अधिसूचना जारी की गई है. उक्त अधिसूचना को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है. प्रकरण में धारा-4 के अन्तर्गत जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-162-अ-82-वर्ष 2010-2011 दिनांक 05 अगस्त 2011 यथावत् प्रभावशील रहेगी. उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा-5 (क) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्राप्त आक्षेपों की विधिवत् सुनवाई उपरांत धारा-6 की नवीन घोषणा के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. 394-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—इटमा कोठार
(घ) क्षेत्रफल—1.036 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
717	0.085
718	0.615
720/909	0.336
निजी खानो भूमि रकबा योग . .	1.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—इटमा तालाब योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. 397-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—इटमा कोठार
(घ) क्षेत्रफल—1.239 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
725/881	0.052
736/1	0.053

(1)	(2)
736/2	0.052
737	0.020
741/1	0.029
741/2	0.033
742	0.041
675/1	0.065
382	0.012
675/2	0.012
676/1	0.032
676/2	0.012
685	0.040
597	0.029
598	0.008
599	0.021
600	0.029
609/1	0.041
610/1	0.065
609/2	0.049
610/2	0.016
609/3	0.049
610/3	0.073
611	0.097
612/1	0.024
612/2	0.020
581	0.028
583	0.036
365/1	0.012
365/2	0.032
589/2	0.008
372	0.057
370	0.040
371	0.004
686	0.024
687	0.024
निजी खाता भूमि योग . .	1.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—इटमा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र.-2201-भू-अर्जन-2010-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी मध्यप्रदेश
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—लमकना पार्ट-II
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.36 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
109	0.08
110	0.09
111	0.02
112	0.03
910	0.04
912	0.05
913	0.03
914	0.22
918	0.08
919	0.24
920	0.02
1009	0.04
1010	0.09
1011	0.03
1012/2	0.10
1013	0.07
1014	0.03
1018	0.01
1019	0.03
1020/1	0.17
1020/2	0.01
1021	0.03

(1)	(2)
1026	0.04
1027	0.07
1028	0.09
1029	0.01
1077	0.05
1078	0.01
1080	0.13
1081	0.08
1082	0.01
1085	0.04
1120	0.09
1121	0.04
1128	0.05
1129	0.18
1130	0.05
1131	0.03
1132	0.03
1134	0.05
1135	0.04
1136	0.08
1137	0.03
1145	0.01
1146	0.03
1147	0.02
1148	0.03
1151	0.02
1152	0.02
1153	0.02
1154	0.02
1191	0.01
1192	0.03
1193	0.12
1194	0.06
1195	0.03
1244	0.13
1245	0.14
1246	0.06
1265	0.07
1266/1	0.09
4 आर माईनर	
573	0.03
591	0.10
596	0.10
597	0.09

(1)	(2)
598	0.05
599	0.10
613	0.14
615	0.03
616	0.07
619	0.10
620	0.15
621	0.04
623	0.05
624	0.04
625	0.03
626	0.04
641	0.12
642	0.11
643	0.03
644	0.03
5 एल माईनर	
255	0.01
256/3	0.04
257	0.02
259	0.02
260	0.04
266	0.14
267	0.01
272	0.10
273	0.04
279	0.01
280	0.14
283	0.06
530	0.04
531	0.23
538	0.01
539	0.03
540	0.10
541	0.06
542	0.06
543	0.06
548	0.10
552	0.10
568	0.01
570	0.02
571	0.04
572	0.11
573	0.08

(1)	(2)
5 आर माईनर	
382	0.06
401	0.02
402	0.05
403	0.02
404	0.03
405	0.08
406	0.09
407	0.04
414	0.12
415	0.05
416	0.06
417	0.03
437	0.24
439	0.05
440	0.03
442	0.02
443	0.05
444	0.07
445	0.15
449	0.05
450	0.10
6 एल माईनर	
49	0.06
50	0.03
51	0.03
52	0.03
55	0.13
59	0.08
296	0.13
298	0.06
299	0.01
301/1	0.15
321/1	0.02
322	0.22
324	0.04
328	0.10
329/1	0.02
329/2	0.02
330	0.10
334	0.05
335	0.04
336	0.20
337	0.01
338	0.07
339	0.02
504	0.01
505	0.03
513	0.04
514	0.04
515	0.01
516	0.05
517	0.05
518	0.03
519	0.04
520	0.13
522	0.14
523/1	0.01
योग . .	10.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात की डी-7 वितरण शाखा 4 आर 5 आर 4 एल, 5 एल, 6 एल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण.—जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. 3517-भू-अर्जन 2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर

(ख) तहसील—(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर

(ग) ग्राम—मानपुर, दुजर्नपुरा, सिहोद, खेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.110 हे.

खसरा क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)	विभाग द्वारा प्रस्तावित सम्पत्ति (3)
	ग्राम-मानपुर	
383/1/2 पार्ट	0.599	आम-4, मकान-1
383/2 पार्ट	0.020	कुआ-1, आम-2,
389/1 पार्ट	0.350	नलकूप-1
308/3 पार्ट	0.050	
216/6 पार्ट	0.101	
198 पार्ट	0.150	बबुल
308/2 पार्ट	0.120	
308/1 पार्ट	0.120	
योग :	1.510	
	ग्राम-दुर्जनपुरा	
196/1/1/1 पार्ट	0.270	
196/1/1/3 पार्ट	0.130	
196/1/1/6 पार्ट	0.035	
19/371 पार्ट	0.610	नलकूप-1, कुंआ-1, मुजाल-1, नीम-1, मकान-1, पाईप लाईन.
19/370/3 पार्ट	0.070	
योग :	1.115	
	ग्राम-सिहोद	
294/1झ पार्ट	0.040	
294/3 पार्ट	0.300	
298 पार्ट	0.020	
301 पार्ट	0.065	
304/1/13	0.040	
योग :	0.465	
	ग्राम-खेड़ी	
28 पार्ट	0.020	नलकूप, पाईप लाईन
योग :	0.020	
कुल योग :	3.110	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—लेबड़-मानपुर फोरलेन निर्माण के लिये छुटी हुई भूमि के अर्जन के लिए.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण.—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील (महू) डॉ. अम्बेडकर नगर एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. 8352-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छिंदवाड़ा
(ख) तहसील—सौसर
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-छत्रापुर, प. ह.नं.-12/26, ब.नं.-140 रा.नि. मंडल- सौसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—4.080 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं. (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
284/1	0.137
278/2	0.042
278/1	0.044
284/3	0.019
279	0.048
268/1	0.051
268/2	0.045
269/1	0.068
263	0.168
262	0.089
261/1	0.29
249/1	0.042
122/6	0.026
122/5	0.022
122/4	0.029
252	0.038
129/2	0.048
129/1	0.029
131	0.064
135/3	0.080
134/6	0.022
134/1	0.048

(1)	(2)
134/2	0.048
135/1	0.038
136	0.029
138	0.070
229, 230	0.064
226/4	0.054
226/3	0.038
226/2	0.038
226/1	0.054
224	0.051
225	0.128
200/2	0.064
200/1	0.139
193, 194, 195/1	0.058
191/1	0.086
186	0.064
185	0.080
179/1, 183	0.051
179/2, 180	0.032
471	0.128
474	0.070
476/3	0.032
476/1	0.064
295	0.074
294/2	0.048
305/1, 10	0.091
306/1, 306/2	0.080
318	0.038
323	0.014
324/1	0.017
324/2	0.007
325	0.014
331/2	0.038
331/1	0.040
339/1	0.045
341/1	0.055
374	0.029
373	0.019
372	0.017
227/1	0.024
214/1	0.050
214/5	0.038
210/1	0.034
205/4	0.053
205/3	0.048
393/1	0.034
397/4	0.017
397/2	0.014
397/1, 397/3	0.019
201/5	0.048
201/1	0.036
201/2	0.036
201/3	0.029
201/4	0.017
203	0.048
405	0.120
411, 412/1	0.058
438/3	0.017
438/1	0.024
317	0.022
योग :	4.080

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8353-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिंदवाड़ा

(ख) तहसील—सौसर

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सांवगी प. ह.नं.-12, ब.नं.-382, रा. नि. मंडल- सौसर

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.920 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48	0.064
47/4	0.026
47/3	0.083
54/1	0.070
54/2	0.045
55/1	0.050
55/2	0.016
57	0.035
60	0.036
61/1	0.064
225/1	0.016
62	0.064
68/1, 68/2	0.109
69/1	0.061
69/2	0.050
69/3	0.042
181/4	0.070
181/3	0.074
219/2	0.112
221/2	0.032
220/1	0.045
221/1	0.009
223/1	0.035
225/2	0.019
226/4	0.009
226/3	0.009
226/5	0.016
229/1	0.008
229/2	0.008
231/2	0.019
231/1	0.019
228/3	0.013
233/1	0.016
335	0.160
336/8	0.160
336/1	0.192
324/3	0.042
326/1	0.051
324/1	0.042
323/1	0.064
322/11	0.198
489	0.080
487/4	0.128
487/2	0.054
486/1	0.016
544	0.038
546/4	0.022
546/2	0.013
546/3	0.022
545/3	0.096
488/1	0.045
488/2	0.035
391/2	0.009
390/2, 390/4	0.080
389/1	0.029
	योग : 2.920

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8354-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिंदवाड़ा

(ख) तहसील—सौसर

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिंगपुर प. ह.नं.-30/14, ब.नं.-390, रा. नि. मंडल-सौसर

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.910 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/1	0.098
17	0.039
18	0.022
96/1	0.056
97	0.042
96/2	0.098
79	0.030
81	0.039
83/1	0.024
83/2	0.028
133	0.168
91	0.084
76/3	0.143
82	0.039
योग :	0.910

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8355-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिंदवाड़ा

(ख) तहसील—सौसर

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-अंबाखापा प. ह.नं.-24/11, ब.नं.-13, रा. नि. मंडल-सौसर

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—04.998 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/2	0.096
5/1	0.115
8/5	0.096
9/3	0.120
12	0.072
11/2	0.096
375	0.072
374/2	0.067
373	0.053
372	0.086
370/1	0.076
370/2	0.057
368/3	0.067
368/5	0.019
353/1	0.053
353/4	0.043
353/3	0.043
354/4	0.029
354/3	0.029
354/1	0.029
357	0.033
358	0.144
338/1	0.100
339	0.115
353/2	0.043
298/2	0.048
299/2	0.120
300	0.168
331/2	0.067
331/1	0.120
415	0.062
416/1	0.081

(1)	(2)
417	0.168
409	0.057
408/1	0.100
408/2	0.105
368/2	0.024
60/2	0.106
66	0.066
69	0.078
70	0.012
74	0.012
76	0.012
71	0.012
73	0.012
75	0.012
77	0.012
78	0.012
175/2	0.082
174	0.158
184	0.070
183/2	0.081
183/1	0.092
177/1	0.062
177/2	0.070
239	0.082
125/1	0.078
243	0.052
125/2	0.080
124	0.100
245	0.120
246	0.040
247	0.040
248	0.040
249/2	0.056
252/3	0.060
252/2	0.024
251	0.060
59/2	0.092
65/2	0.096
238/1	0.020
238/2	0.018
238/3	0.018
238/4,5	0.036
240/2	0.052
योग :	4.998

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8356-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिंदवाड़ा

(ख) तहसील—सौसर

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पंधराखेडी, प. ह. नं.-12, ब.नं.-221 रा.नि. मंडल- सौसर

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—4.710 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
106/1	0.068
107/2	0.032
107/1	0.032
106/2	0.068
108	0.044
109	0.024
104	0.036
96	0.060
92/1	0.060
92/2	0.084

(1)	(2)
87/1, 88/1	0.048
87/3	0.052
83	0.158
59	0.052
58	0.084
57	0.064
53/6, 55	0.060
54/1, 54/2, 54/3,	0.080
241/2	0.072
240/1, 2	0.032
239/5	0.032
238	0.024
234	0.064
233	0.032
251	0.010
237	0.020
264	0.218
268/3	0.060
267	0.064
290/1	0.096
291	0.108
292	0.088
285/4	0.036
285/1	0.052
285/3	0.028
285/2	0.084
265	0.096
293	0.060
110, 111	0.036
112/1,113/1	0.072
118,119	0.036
125	0.135
146/1	0.079
150	0.048
149/1	0.060
159/1	0.072
360/1	0.057
360/2	0.057
377	0.031
378	0.026
384, 385	0.058
388/2, 408	0.154
406/3	0.041
406/1	0.014
401/1	0.017
403/1	0.051
484	0.075
485/1, 2	0.017
402/1	0.021
483	0.140
478/4, 5	0.031
477/1	0.048
85/2	0.029
85/1	0.082
207/1	0.034
212/3	0.024
212/2	0.061
202	0.096
194	0.019
193	0.017
192	0.017
191/2	0.017
190	0.015
188	0.036
177	0.158
298/3	0.029
456/1	0.120
457/1	0.043
457/3, 457/4	0.036
449/5	0.034
449/6	0.036
449/3	0.049
योग :	4.710

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. 1685-भू-अर्जन 2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्र. 355/5/कोर्ट/11, दिनांक 10 मई 2011 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) अर्जेंसी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—बालाबाद
(घ) क्षेत्रफल—2.391 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
95/2	0.311
96/1	0.664
96/2	0.243
98	1.173
कुल योग :	2.391

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—2x660 मेगावाट की वृहत ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1686-भू-अर्जन 2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रं. 357/5/कोर्ट/11, दिनांक 10 मई 2011 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) अर्जेंसी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—डालची
(घ) क्षेत्रफल—94.568 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
245/1	0.712
245/2	1.833
245/3	1.832
245/4	0.882
245/5	1.832
245/6	1.833
246/1	1.619
246/2	1.853
246/3	2.023
247/1	1.716
247/2	1.421
247/3	1.316
248/1	0.915
248/2	1.595
248/3	0.910
249	0.081
250/1	2.428
250/2	1.902
251	2.104
252/1	2.833
252/2	1.289
252/3	0.809
252/4	2.023
252/5	1.822
252/6	0.810
253/1	0.692
253/2	1.145
253/3	0.453
254/1	0.053
254/2	1.254
254/3	0.129
254/4	1.011

(1)	(2)
254/5	1.142
254/6	0.093
254/7	0.105
254/8	0.785
254/9	0.129
254/10	0.785
255/3	0.101
293/1	2.676
293/7	0.608
293/8	1.012
294/4	0.162
294/5	0.040
295/1	1.190
295/2	1.179
295/3	1.180
296/1	1.452
296/2	0.765
296/3	1.490
296/4	1.485
296/5	0.765
297	1.489
298/1	1.117
298/2	1.116
299	3.727
300/1	0.388
300/2	2.777
300/3	1.100
300/4	0.368
300/5	0.348
300/6	0.352
300/7	0.724
300/8	0.720
300/9	1.600
301/1	1.224
301/2	1.224
302	1.619
303/1	0.809
303/2	0.809
303/3	0.810
303/4	1.215
303/5	0.404
304/1	2.024
304/2	1.416
304/3	1.416
305	0.308
310	0.465
311	0.809
314	0.465
315	0.696
316	0.327
317	2.428
कुल योग :	94.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—2x660 मेगावाट की वृहत ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1687-भू-अर्जन 2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के पत्र क्रं. 356/5/कोर्ट/11, दिनांक 10 मई 2011 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) अर्जेंसी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—सेल्दा
(घ) क्षेत्रफल—220.231 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4/1	1.542
4/2	1.420
5/1	0.809
5/2	0.809
5/3	0.810
6	2.428
39/1	0.850

(1)	(2)
39/2	1.699
40	2.023
41	0.805
42	1.274
43	1.092
44	0.915
123/1	0.809
123/2	0.405
123/3	0.688
123/6	0.380
123/7	0.429
123/8	0.753
123/9	0.405
123/10	0.784
123/11	0.809
123/12	0.810
123/13	0.101
123/16	0.101
126/1	1.137
126/2	0.833
126/3	1.429
130	0.162
132/1	0.405
132/2	0.223
133	0.316
138/1	1.214
138/2	1.214
139/1	0.384
139/2	0.461
139/3	0.660
153/1	0.607
153/2	1.376
154/1	0.979
154/4	0.842
154/5	0.141
154/6	0.121
155/1	1.242
155/2	0.985
155/3	0.091
155/4	1.241
155/5	0.162
155/6	0.024
155/7	1.500
155/8	0.303
155/9	0.303
164/5	1.206
165/1	2.967
165/2	1.485
166/1	2.084
166/2	1.200
166/3	1.200
167/1	1.825
167/2	1.113
167/3	0.405
167/4	1.112
168	0.223
169/1	0.314
169/2	0.809
169/3	1.123
169/4	2.246
170/1	1.040
170/2	1.181
170/3	1.040
170/4	0.284
170/5	1.182
172/1	2.030
172/2	4.455
172/3	0.805
172/4	1.208
173/1	3.390
173/2	0.920
173/3	3.330
174	0.166
176	0.089
175	0.688
177/1	0.809
177/2	0.899
178	0.870
179/1	2.024
179/2	2.023
180/1	1.939
180/2	0.587
180/3	1.214
180/4	1.620
180/5	0.810
180/6	1.939
180/7	0.810
181/1	0.809

(1)	(2)	(1)	(2)
181/2	1.740	205/2	1.315
182/1	0.810	205/3	1.315
182/2	0.405	206/1	1.484
182/3	0.607	206/2	1.484
183/1	2.023	206/3	1.484
183/2	1.923	207	3.507
183/3	0.773	212	2.100
184	1.295	213/1	0.405
185	0.542	213/2	2.023
186	1.619	213/3	2.023
187/1	3.152	213/4	3.643
187/2	1.809	214/3	0.610
187/3	1.214	214/4	0.610
189	1.052	216	0.560
191/1	0.162	224	0.469
191/2	0.283	235/1	1.155
191/3	0.485	236	2.833
191/4	0.911	237/1	1.638
191/5	1.052	237/2	0.332
192/1	0.804	237/3	0.154
192/2	0.794	237/5	0.546
193/1	1.150	239/1	1.415
193/2	0.809	239/2	0.911
194/1	2.092	239/3	0.911
194/2	2.092	240	3.828
195/1	0.302	241	1.222
195/2	1.112	242/1	0.712
195/3	0.302	242/2	0.701
195/4	0.303	242/3	0.618
196/1	0.549	242/4	0.634
196/2	0.470	242/5	0.508
198/1	0.458	242/6	0.080
198/2	0.459	243/1	1.307
198/3	0.459	243/2	0.345
201	1.081	243/3	0.679
203/1	0.135	243/4	0.502
203/2	0.135	244/1	6.000
203/3	0.135	244/2	1.519
204/1	0.405	244/3	1.519
204/2	2.023	244/4	0.809
204/3	0.607	244/5	0.809
204/4	0.506	244/6	1.667
204/5	0.506	244/7	1.160
205/1	1.619	244/8	1.041

(1)	(2)
245/1	1.452
245/2	2.412
245/3	1.214
246/1	0.595
246/2	0.080
246/3	0.595
252/1	1.093
252/2	0.791
252/3	0.728
252/4	1.900
253/1	0.810
253/2	1.011
253/3	1.012
253/4	1.020
253/5	0.122
253/6	0.080
259/1	0.825
259/2	0.769
260/1	1.255
260/2	0.566
263/1	1.310
263/2	1.487
264	0.575
कुल योग :	220.231

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—2x660 मेगावाट की वृहत ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. 2220-प्र. क्र.-24-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) का की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—साकल्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.300 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
63/2	0.032
64/3	0.020
64/255/1/1क	0.640
62	0.020
64/255/1ख	0.270
64/255/1/2	0.260
64/255/2	1.058
योग कुल रकबा :	2.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उदवहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2226-प्र. क्र.-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) का की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—करोंदिया बुजुर्ग

(घ) क्षेत्रफल—7.145 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
295/1/2	0.450
295/1/1	0.426
295/1/1/2	0.550
299	0.140
300	0.056
302/3	0.060
387/1	0.144
350/4	0.130
373/3	0.050
356/2	0.650
350/1/2/2	0.030
351	0.070
356/1	0.670
385/2	0.740
354/1/2	0.080
352	0.170
354/1/1	0.205
357/2	0.025
357/3	0.390
359	0.050
361	1.080
362	0.160
363/2	0.049
371	0.030
385/4	0.635
386	0.015
387/2	0.060
387/3	0.020
388	0.010
योग कुल रकबा :	7.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उदवहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. 2251-प्र. क्र.-02-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) का की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—रामाधामा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.946 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
44	0.200
180/1	0.080
46/1	0.790
46/2	0.370
48/1	0.045
48/2	0.050
48/3	0.015
216/1	0.115
50/1	0.075
50/2	0.210
50/3	0.612
76	0.560
92/2	0.080
52/1	0.040
52/2	0.155
62/2	0.164
66	0.202
67/1	0.260
67/2	0.240
67/3	0.220
67/4	0.260
68/1	0.680
70/1	0.550
70/2/1	0.270
73	0.310
75/1/2	0.015

(1)	(2)
78	0.600
79/7	0.175
79/1124	0.060
180/2	0.140
180/3/1	0.068
180/3/2	0.110
213/1	0.110
213/4/2	0.020
220/1	0.060
220/2	0.060
220/3	0.055
221/14	0.240
223/1/1	0.115
223/3/2	0.085
223/1/2	0.120
223/3/3	0.080
223/1/4	0.140
223/3/4	0.105
223/1/3	0.125
223/3/1	0.090
223/2	0.650
1127/214	0.170
योग कुल रकबा :	9.946

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उदवहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2233-प्र. क्र.-19-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) का की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—छीतरी

(घ) क्षेत्रफल—6.038 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
32	0.130
33	1.345
34	0.060
40/1	0.005
165	0.070
166/2	0.060
169/1	0.104
168/1	0.190
191/1	0.735
168/2	0.519
169/2	0.120
170	0.050
171	0.130
174/2	0.165
187/1	0.325
190/1	0.420
190/3	0.375
187/2	0.400
190/2	0.835
योग कुल रकबा :	6.038

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उदवहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2239-प्र. क्र.-20-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) का की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के

लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—कालीबावड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.607 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
10/1	0.025
13/1	0.310
10/2	0.075
13/8	0.370
10/3	0.030
13/9	0.200
14	0.165
20/2	0.270
21/4	0.365
20/1	0.150
21/3	0.390
22	0.090
51	0.205
44/2	0.130
44/4	0.040
45/3	0.005
44/13/2	0.150
44/3/1	0.240
44/14	0.230
44/3/2	0.032
44/5	0.095
44/7/1	0.135
45/1/1	0.080
44/6	0.110
44/8	0.020
44/16/2	0.005
44/7/2	0.135
45/1/2	0.020
49/1	0.260
49/2	0.615
88	0.040
(1)	(2)
89	0.125
94/2	0.365
90	0.790
573/1	0.015
574	0.340
581/1	0.340
581/3	0.590
582/1/1	0.005
582/1/3	0.050
योग कुल रकबा :	7.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2245-प्र. क्र.-20-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) का की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—प्रतापपुर दाभ्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.465 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.390
14/2	0.090
16/3	0.320
16/4	0.290
17/3	0.090
90/1	0.095

(1)	(2)
17/4	0.110
94/9	0.100
17/1	0.085
94/2	0.060
94/5	0.100
95/1	0.280
17/5	0.140
94/7	0.085
17/6	0.164
93/2	0.350
21/1	0.120
21/2	0.620
28	0.410
70/1	0.190
70/3	0.544
66	0.090
68/1	0.090
70/2	0.200
71/1	0.030
89/1	0.030
71/2	0.210
87/1/1	0.380
71/3	0.265
87/1/2	0.151
88	0.126
93/1	0.370
97/1	0.040
168	0.850
योग कुल रकबा :	7.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. 5601-भू-अर्जन-2011-प्रकरण क्रमांक-6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—आलोट/ताल

(ग) ग्राम—खराबड़ी, खेजड़िया-गुजरान, चारखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—45.32 हेक्टर.

ग्राम—खराबड़ी

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
12	0.08
13/1	0.46
13/2	0.60
45	0.03
46	0.45
47	0.04
48	0.52
49/1	0.20
49/2	0.20
49/3	0.20
49/4	0.19
49/5	0.19
50/1	0.49
50/2	0.49
51	0.59
52	0.98
53	1.45
56	0.51
59	0.32
73	0.68
74	1.35
75	0.15
76	0.92

(1)	(2)
77	0.10
80	0.56
81	0.57
82	0.36
83	0.54
84	1.30
85	0.93
86	0.39
87	0.43
88/1	0.55
88/2	0.28
88/3	0.27
89, 90	0.84
91	0.85
93/1	0.48
93/2	0.50
93/3	0.50
94/1	0.08
94/2	0.29
94/3	0.30
95/1	0.39
95/2	0.40
96/1	0.29
96/2	0.30
97/1	0.19
97/2	0.18
98/1	0.29
98/2	0.29
99/1	0.38
99/2	0.72
100/1	0.36
100/2	0.35
101	0.75
102	0.54
103/1	0.76
103/2	1.92
105	0.22
106	0.26
107/1	0.47
107/2	0.11
109	0.24
114	0.24
118	0.05
120/1	0.11
120/2	0.16
120/3	0.67
120/4	0.15
121	0.39
122	0.36
123/1	0.30
123/2	0.30
125	0.60
126	0.44
127	0.19
128	0.11

कुल कीता 78 कुल रकबा 34.69 हेक्टर

ग्राम—खेजड़िया गुजरान

49/2	0.10
49/3	0.10
79	0.03

कुल कीता 3 कुल रकबा 0.23 हेक्टर

ग्राम—चारखेड़ी

7	0.04
8/1	0.11
8/2	0.13
15/1	0.05
16/1/2	0.08
16/2	0.11
18	0.07
19	0.18

(1)	(2)
20/1	0.04
20/2	0.14
20/3	0.14
21/1	0.10
21/2	0.22
21/3	0.22
23	0.16
25	0.48
43	0.23
44	0.18
45	0.56
46	0.41
47	0.66
48/1	0.31
48/2	0.10
49/1	0.15
49/2	0.15
50	1.41
51	0.63
52	0.20
55	0.10
56	0.18
58	0.17
59	0.72
60	0.06
63	0.62
64	0.83
108	0.08
109	0.34
110	0.04

कुल कीता 38 कुल रकबा 10.40 हेक्टर

दोनों ग्रामों का कुल कीता 119 कुल रकबा 45.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बरखेड़ाखुर्द तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. 690-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—मुंरैठा कोठार
(घ) क्षेत्रफल—0.122 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
236/2	0.053
236/3	0.028
237	0.041
कृषकों की भूमि का योग . .	0.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—नैया नाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं बॉध का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. सी-9474-दो-14-1-2011.—श्रीमती मीना अल्बर्ट, सहायक ग्रेड-एक, की नियुक्ति/पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500—200—10,500 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9,300—34800 + ग्रेड पे रुपये 4200) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है, यदि वे पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करती हैं तो उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक, जो भी पूर्व में हो, तक विचार नहीं किया जावेगा. यदि वे पदोन्नति पर दिनांक 20 नवम्बर, 2011 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो वे लिखित में अपनी असहमति प्रस्तुत करेंगी कि वे पदोन्नति स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. C-9574-दो-3-156-2009.—श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9596-दो-2-54-2011.—श्रीमती गिरीबाला सिंह, रजिस्ट्रार (जे-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9598-दो-3-155-2009.—श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार (व्ही.एल.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2011

क्र. B-2728-दो-2-27-2011.—श्री जे.पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक-सी-8795, दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 17 से 24 अक्टूबर 2011 तक, आठ दिवस के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लॉक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. B-2730-दो-2-19-2008.—श्री एन.के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 13 से 22 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश पश्चात् में दिनांक 23 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन.के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2732-दो-2-14-2005.—श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.बी.एस. बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2734-दो-2-32-2011.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 3 से 30 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके अट्ठाईस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-9429-दो-2-20-2006.—श्री के.एस. ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9431-दो-2-50-2009.—श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9433-दो-2-61-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9435-दो-3-61-2006.—श्री ओ. पी. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9437-दो-103-50-2006.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9439-दो-2-55-2009.—श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. C-9576-दो-2-18-2008.—श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 24 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अक्टूबर 2011 के एवं दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-9578-दो-2-22-2008.—श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-9580-दो-2-18-2008.—श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 14 से 17 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 18 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-9582-दो-2-20-2006.—श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 29 नवम्बर 2011 से 3 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल सिंह ठाकुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-9584-दो-2-38-2011.—श्री व्ही. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 10 से 13 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. C-9625-दो-3-10-2006.—श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-9627-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 29 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-4706-दो-2-39-2011.—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 22 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-4708-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 7 से 15 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 से 6 अक्टूबर 2011 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. E-4704-दो-2-26-2011.—श्री वेद प्रकाश, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 8 नवम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. 1486-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती नीलम शुक्ला	ग्वालियर	इन्दौर	इन्दौर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री शिवलाल केवट	डिण्डौरी	बैढ़न	सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्रीमती रश्मि बाल्टर	इन्दौर	डिण्डौरी	डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	श्री महेन्द्र सिंह ताराम	नौगांव	निवास	मण्डला	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री इरशाद अहमद	रामपुर-बघेलान	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से श्रीमती नीलम शुक्ला के स्थान पर.

क्र. 1487-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-दो).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11(3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री मुकेश सिंह चौहान	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
2	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय	खण्डवा	रामपुर-बघेलान	सतना	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से नियमित न्यायालय में श्री इरशाद अहमद के स्थान पर.

टिप्पणी :—

(1) श्रीमती नीलम शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर
(2) श्रीमती रश्मि बाल्टर, बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इन्दौर
(3) श्री महेन्द्र सिंह ताराम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नौगांव, जिला छतरपुर
(4) श्री इरशाद अहमद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रामपुर-बघेलान, जिला सतना

के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त ''स्वयं के व्यय पर'' किये गये हैं. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि वे ''स्वयं के व्यय पर'' किये गये स्थानांतरण से सहमत नहीं हैं, तो वे अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर पदभार न सौंपे तथा स्थानांतरण आदेश प्राप्ति के 3 दिन के अंदर, फैक्स द्वारा, पृथक् से अभ्यावेदन इस रजिस्ट्री को प्रेषित करें, जिससे उनका स्थानांतरण निरस्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जा सके.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.